

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

-:परिपत्र:-

क्रमांक 10 / दो-12-5 / 1987

नर्मदापुरम, दिनांक 07.02.2026

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र, अवकाश पर प्रस्थान करते समय सायंकाल 5:00-5:30 बजे प्रस्तुत कर, बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर प्रस्थान कर जाते हैं, जो कि उचित नहीं है।

अतः समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु अवकाश स्वीकृति उपरांत ही अवकाश पर प्रस्थान करें, अन्यथा अवकाश अस्वीकृत होने की दशा में संबंधित कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

उक्त परिपत्र का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ0क0 859 / दो-12-5 / 1987

नर्मदापुरम, दिनांक 19.02.2026

प्रतिलिपि यथानिर्देश:-

- 1- समस्त न्यायाधीशगण, नर्मदापुरम / इटारसी / सोहागपुर / पिपरिया / सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग नर्मदापुरम / इटारसी / सोहागपुर / पिपरिया / सिवनी मालवा की ओर प्रेषित कर लेख है कि समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के मध्य परिचलित कराने का कष्ट करें।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ।
- 4- जेएसए कम्प्यूटर अनुभाग नर्मदापुरम की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ईमेल किये जाने हेतु प्रेषित।


जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट, नर्मदापुरम (म.प्र.)